तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-6-2015 रामभजन फतेहसिंह [illegible] रामजीलाल नि०सरूपी	पत्रावली आज लोक अदालत शिविर सलेमपुर में पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि ख०नं० 65/0.82, 68/0.48 ग्राम फरासपुर तथा वादीगण की भूमि ख०नं० 65/326 / 0.09 ग्राम फरासपुर का सीमाज्ञान तहसीलदार जी के नेतृत्व में तीन सदस्यों की टीम मौके पर जाकर सीमाज्ञान करेगी। सीमाज्ञान में अगर वादीगण के प्रतिवादीगण की भूमि दबी मिली तो वादीगण भूमि छोड़ेंगे तथा प्रतिवादीगण के वादीगण की भूमि दबी मिली तो प्रतिवादीगण भूमि छोड़ेंगे। इसी सीमाज्ञान से दोनों पक्ष सहमत रहेंगे। इसी आधार पर वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे। अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादपत्र का निर्णय किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] (सतीश कुमार शर्मा, Adv.) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी [signature] (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	लखन बनी सिंह [signature] कमला राधेश्याम [signature] [illegible] निर्मल वास्ते [illegible] [illegible] [signature] मोह० इस्लाम Adv.

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. फतेह सिंह पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. रामकरण पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. सरूपी बेबा रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. बृजलाल पुत्र हीरा गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. रामजीलाल पुत्र हीरा, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी

—-वादीगण

बनाम

1. बनैसिंह पुत्र शिव लाल, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. कैलाश पुत्र रतन लाल, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. रामहरी पुत्र रतन लाल, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. लखन पुत्र रामहरी, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. कमलेश पुत्र रामहरी गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. सुखी पत्नी रामहरी गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. निर्मला पत्नी कैलाश गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी

—-प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 122/2013

वादीगण की ओर से वादी फतेह सिंह, रामकरण, सरूपी, बृजलाल, रामजीलाल की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी बनैसिंह, रामहरी, लखन, कमलेश, सुखी, निर्मला की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 05.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 65 रकबा 82 एयर, 68 रकबा 48 एयर ग्राम फरासपुर एवं वादीगण की भूमि ख0न0 65/326 रकबा 9 एयर ग्राम फरासपुर की नाप तहसीलदार गंगापुर सिटी के नेतृत्व में तीन सदस्यो की टीम बनाकर सीमाज्ञान करवाने का आदेश दिया जाता है। नाप में जिस पक्ष के पास दूसरे पक्ष की जमीन दबी हुई निकलती है तो वह पक्ष उस दबी हुई भूमि को तुरंत दूसरे पक्ष को दे देगा एवं सीमाज्ञान से दोनो पक्ष सहमत रहेगें। इसी अनुसार दावा निर्णित किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 05.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रू
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

सत्यमेव जयते

गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गं.सि.

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- सलेमपुर

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,, दिनांक 5/6/15

कैम्प-सलेमपुर

फतेहसिंह वगैरह बनाम कनोसिंह वगैरह

प्रकरण संख्या :- 122/13 अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री फतेहसिंह वगैरह

निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 65 रकबा 0.82 है., 68 रकबा ... ग्राम सलेमपुर तथा वादीगण की भूमि हाल ख.नं. 65/326 रकबा 0.09 है. सलेमपुर का सीमाज्ञान तहसीलदार ... [illegible] ... सीमाज्ञान में ... [illegible] ... सीमाज्ञान से दोनों ... [illegible] ... की जावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. रामजीलाल (1) रामजीलाल S/o हीरा — प्रतिवादी पक्ष 1. कनोसिंह (1) कनोसिंह S/o शिवलाल

2. रामफल (2) रामफल S/o रामधन — 2. रामकरण (ii) रामकरण S/o रतन

3. (3) गुणलाल — 3. (iii) S/o रामसहाय

4. फतेहसिंह (4) फतेहसिंह S/o रामधन (5) सरजी (6) निर्मला — 4. (iv) S/o रामसहाय

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर — पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

(वादी पक्ष) नाम — (प्रतिवादी पक्ष) नाम

फतेहसिंह वगैरह एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी कनोसिंह वगैरह

सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सही होना पाया गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

सदस्य (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा, अ.)

सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत गंगापुर सिटी